(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव

किस्म मुकदमा:–रिव्यू प्रार्थना पत्र **नम्बर: 2021 / 277**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.10.21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित, उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र रिव्यू न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जबकि रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त कराया जा सकता है एवं अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र रिव्यू में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.08.2021 में किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटियों होना अवगत नही कराया गया तथा न्यायालय हाजा के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने के प्रावधान अपीलान्ट को कानूनन में प्रदत्त भी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.08.2021 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यू सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	

संभागीय आयुक्त
जयपुर